

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

नन्दा बनाम झोपर

प्रकरण संख्या :- 06/2025

श्री १०७४

आज्ञा विस्तृत रूप से

कम सरख्या	नाक आजा या कार्यवाही	
16/04/2025		<p>पत्रावली पैदा हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित सुनी गयी वृद्धम का मनन क्रिया पत्रावली का अवलोकन क्रिया गयी प्राणी का श्री १०७४ अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान बालनवाली अधिनियम 1955 न्याय हित में लक्ष्मीकरा। आमेर के रिपोर्ट एवं पत्रावली में उपलब्ध उल्लेखान के आधार पर स्वीकार क्रिया जाता है। विस्तृत क्रिये प्रेषित लिखाया गयान आदेश सुनाया गया। पत्रावली कैसल दुमारा हीवा डूब नमक से बसती।</p>

[Signature]
 उप खण्ड अधिकारी
 आमेर जयपुर